152/16 फतेहसिंह VS प्रतापाराम वगै०

29/6/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला कला में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पांयला कला)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.152/2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
फतेहसिह पुत्र लालसिह जाति राजपुत निवासी पायंला कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1 प्रतापाराम 2.पीराराम 3.खुबाराम 4.हीराराम पिसरान पुरखाराम 5.पुराराम पुत्र सोनाराम 6.अनाराम 7.मांगाराम 8.पांचाराम पिसरान देवाराम 9.सकाराम 10.हरजीराम पिसरान पुनमाराम 11.बुद्वाराम 12.राणाराम पिसरान केवाराम 13.दीपाराम पुत्र उदाराम 14.हुकमाराम पुत्र हमीराराम 15.लाधाराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल 16.मानाराम पुत्र धमण्ड़ाराम जाति हरीजन 17.कालूराम 18.गुणेशाराम 19.भंवराराम 20.हंजाराम 21.नाथाराम पिसरान तुलछाराम जाति प्रजापत 22.गुलाबसिह पुत्र किशोरसिह

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

23.भवंरसिह पुत्र विरदसिह

24.राणसिह पुत्र विरदसिह जाति राजपुत

निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी

व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री जोगराज पोटलिया,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 24 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 27/6/17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवाई गई थी। तत्पश्चात विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा भूमि

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 647 व 660 कुल रकबा 20–12 बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

29/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

29/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner